राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को तोहफा देते हुए उक्त प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: ओलंपिक, सैफ व राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को तोहफा देते हुए उक्त प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

उत्तराखंड में खेल अवस्थापनाओं की स्थापना व संचालन में निवेश करने वाली पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों या निजी प्रायोजकों को राज्य सरकार की ओर से 25 फीसद (अधिकतम 50 लाख) की वित्तीय मदद दी जाएगी। राजकीय डिग्री कालेजों के अंशकालिक, तदर्थ व संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। कैबिनेट ने वर्ष 2016-17 के लिए लगभग 40 हजार करोड़ के बजट प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इस बाबत चार जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र में विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा।

पढ़ें: आइएमए ब्लड बैंक की गोष्ठी में पहुंचकर सबको चौंका दिया सीएम ने

साथ ही, कैबिनेट ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संशोधित ढांचे व रेशम नियमावली को मंजूरी दे दी। पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक व नगर निगम अधिनियम में संशोधन विधेयक के मसौदे पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

आज सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी व सरकारी नौकरी में अधिमान देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए खिलाड़ियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं को शामिल किया गया है, जिन्हें विभागों के चिह्नित समूह-ख (ग्रेड पे-5400) के सीधी भर्ती के पदों पर आउट आफ टर्न सेवायोजित किया जाएगा।

पढ़ें-2017 के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व संभालने को तैयार खंडूड़ी

द्वितीय श्रेणी में शामिल ओलंपिक में प्रतिभाग, विश्वकप या विश्व चैंपियनशिप, एशियन व राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं को समूह-ख (ग्रेड पे-4600 व 4800) के सीधी भर्ती के पदों पर आउट आफ टर्न सेवायोजित किया जाएगा।

तृतीय श्रेणी में शामिल सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, मान्यताप्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित विश्व चैंपियनशिप व विश्वकप के प्रतिभागियों, एशियन व राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को उनकी खेल प्रतिस्पर्धा के स्तर व महत्ता के अनुसार विभागों में चिह्नित समूह-ग सीधी भर्ती के पदों पर सेवायोजित किया जाएगा।

पढ़ें- सीएम बोले, दोष अमित शाह का नहीं, उनके साथ रहने वालों का है

चतुर्थ श्रेणी में मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त, ऑल इंडिया अंतरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त, मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को शामिल किया गया है।

उक्त श्रेणी में शामिल खिलाड़ियों को राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी-ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन प्रक्रिया में सभी स्तरों पर (साक्षात्कार छोड़कर) अधिकतम दस फीसद या 25 अंक, जो भी कम हो, का अधिमान दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में पदक जीतने व प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी सामान्य खिलाड़ियों की भांति ही यह लाभ दिया जाएगा।

फिलहाल गृह, खेल, युवा कल्याण, आबकारी, विद्यालयी शिक्षा, पंचायती राज व ग्राम्य विकास विभागों में ही उक्त खिलाड़ियों को पृथक से निवंसर्गीय पद सृजित कर नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड के स्थायी निवासी खिलाड़ियों को ही इसका लाभ मिलेगा।

पढ़ें-उत्तराखंड: भंडारी पर रार, घर वापसी से कांग्रेस का इन्कार

मंत्रिमंडल ने राजकीय डिग्री कालेजों में 2003 में तदर्थ व अंशकालिक में तैनात और 2006 व 2008 में संविदा पर तैनात लगभग 152 शिक्षकों के नियमितीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। एलटी उद्योग श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को लंबित विद्युत बिलों के भुगतान करने पर विलंब भुगतान अधिभार में छूट देने का निर्णय किया गया है।

वर्तमान में उक्त श्रेणी के 3196 उपभोक्ताओं के 47.15 करोड़ के बिल बकाया है, जिन पर 15.55 करोड़ का विलंब अधिभार भी शामिल है। इस योजना के जरिए ऊर्जा निगम को 31.60 करोड़ का राजस्व मिल सकेगा। विलंब अधिभार की राशि का समायोजना विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मद के तहत किया जाएगा।

कैबिनेट ने सरकारी विभागों में वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए आशुलिपिकों की पदोन्नति का रास्ता भी खोल दिया। इसके तहत आशुलिपिक के संवर्गीय ढांचे में कुल सृजित पदों में से डीएम व मंडलायुक्त कार्यालयों के अतिरिक्त ग्रेड पे-10000 तक के विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-5400 के एक-एक पद सृजित किए जाएंगे। रेशम नियमावली को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के 20 फीसद पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा अनिवार्य कर दी।

चीड़ पिरूल को अभिवहन शुल्क से मुक्त कर दिया, तो सूचना प्रौद्योगिकी निर्माता इकाईयों को केंद्रीय बिक्री कर में छूट दे दी। त्यागी जाति के स्थान पर त्यागी चौहान जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय किया। उरेडा के तहत सौर ऊर्जा प्लांट के लिए पौड़ी जनपद के सीकू गांव में 1.048 हेक्टेयर भूमि कवींद्र सिंह बिष्ट को पट्टे पर देने का फैसला किया।

ये रहे कैबिनेट के फैसले:

-खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास में निवेश करने वाली संस्थाओं को 25 फीसद मदद

-चीड़ पिरूल अभिवहन शुल्क से मुक्त, आइटी निर्माता इकाइयों को केंद्रीय कर व बिक्री कर में छूट

-डिग्री कालेजों के 152 तदर्थ, अंशकालिक व संविदा शिक्षक होंगे नियमित

-राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के पुनर्गठन को मंजूरी, 255 से बढ़कर 292 हुई पदों की संख्या

-रेशम नियमावली को मंजूरी, तृतीय श्रेणी के 20 फीसद पदों पर पदोन्नति को देनी होगी परीक्षा

पढ़ें-अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब